

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 18-05-2020

--: परिपत्र :-

विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी (Recruiting Agency) से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु।


राज्य सेवाओं से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं के सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिला/जिले में स्थान का आवंटन जैसी भी स्थिति हो का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-person counseling के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अधीन सम्पन्न किया जायेगा:-

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति-पत्नि प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरियताक्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जायेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्त के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण किया जायेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नि हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो में पदस्थापन किया जायेगा। इसी प्रकार पति-पत्नि में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला/जिले में स्थान में पदस्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला/जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जायेगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति/पत्नि असाध्य रोग से ग्रस्त हो/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा।
5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी, परन्तु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गयी अन्य आवश्यक शर्तों तथा रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
7. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जायेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात् किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हों।
8. नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जावे, साथ ही अभ्यर्थियों को जिला/जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति-पत्र प्राप्त किया जावे।
9. उपरोक्तानुसार किये गये जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं एवं न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्ररक्षण संबंधित समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे।

उपरोक्त परिपत्र तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष।
9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव